निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 25/12
दायरा दिनांक :- 18.4.21
निर्णय दिनांक :- 2.11.21

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र लाला जाति माली निवासी उम्र पीपल्दा तह. बारां
2. श्रीमती गोबरी बाई पुत्री लाला जाति माली निवासी उम्र पीपल्दा तह. बारां

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा तह. बारां
2. रघुवीर सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी पीपल्दा तह. बारां
3. छीतरलाल पुत्र हीरा जाति चमार निवासी पीपल्दा तह. बारां
4. कृष्णमोहन पुत्र जरलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तह. बारां
5. मुकुट बिहारी पुत्र जरलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तह बारां
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र जरलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तह. बारां
7. जगन्नाथ बेवा जरलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तह. बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 A RTA

निर्णय दिनांक :- 2.11.21

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी - प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र प्रकाश गौतम - अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्र[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A RTA विरुद्ध अप्रार्थी [illegible] का पेश किया गया कि नाके उम्र पीपल्दा तह [illegible] के हाल रक [illegible] रकबा 2.45 हे. आराजी का प्रार्थी क्रं. 1 खातेदार कृषक है व रक [illegible] रकबा 1.60 हे. आराजी की प्रार्थिया क्रं. 2 खातेदार कृषक है उक्त आराजीयात प्रार्थिया

उपखण्ड अधिकारी

लगातार - 2

की पुश्तैनी [illegible] राजीयात है जाए पीपल्दा के ख०नं० 406 कोगमल
है [illegible] आराजी का काश्तकार अप्रार्थी क्र० 1
ख०नं० [illegible] व ख०नं० 404 रकबा 0.03 है अ
का [illegible] है जिस पर अप्रार्थी क्र० 2 काबि
प्रार्थी गण की आराजी ख०नं० 419 के दक्षिण ओर अप्रार्थी गण
खाते व कब्जे की आराजीयात है ख०नं० 403, 404, 405, 406, 41
आराजी के दक्षिण ओर आम रास्ता सड़क है प्रार्थी गण आ
सड़क से ख०नं० 405 व 406 के मध्य मेड व ख०नं० 404, 40
के मध्य मेड के रास्ते से अपनी आराजी ख०नं० 419 पर
जाने व काश्त हेतु ट्रेक्टर व कृषि उपकरण लाने ले जाने
इस वर्ष भी प्रार्थी गण ने उक्त रास्ते से ट्रेक्टर व कृषि उपक
अपने खाते की आराजी को हांका जोता एवं काश्त किया। प्र
40 वर्षों से भी अधिक समय से उपरोक्त रास्ते से अपनी कृषि
को काश्त करते रहे है उपरोक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी ग
आराजी पर काश्त हेतु आने जाने का अन्य कोई विकल्प
रास्ता नहीं है।

अप्रार्थी क्र० 1 ता 3 ने ख०नं० 405, 404, 406 के मध्
नं० 403, व 410 के मध्य 10 फुट चौडी मेड को हांक कर क
पहले छोटा कर दिया जिससे प्रार्थी गण को कृषि उपकरण
ट्रेक्टर लाने ले जाने में बाधा एवं परेशानी उठानी पड़
जुलाई 2011 में अप्रार्थी क्र० 1 ने प्रार्थीगण की आराजी पर आ
के रास्ते की मेड पर कटीले तारों की बाड लगाने हेतु
कर दिये थे। जिससे प्रार्थी गण को अपनी आराजी पर का
आने जाने में बड़ी बाधा एवं परेशानी हुई है इस कृषि
बमुश्किल प्रार्थी गण ने अपनी आराजी को हांक जोत कर प
है अप्रार्थी क्र० 1 ता 3 ने प्रार्थीगण की आराजी पर आने
रास्ते में अवरोध, बाधा, रुकावट करने के आशय से बीते
में मनुष्य कर अप्रार्थी क्र० 1 ने अपने खाते की आराजी की
पर मध्य में खांटे व तारों की बाड लगाकर प्रार्थीगण की आ
आने जाने के रास्ते में बाधा एवं रुकावट कर दी जिससे प्र
की आराजी पड़त रहने की पूर्ण संभावना है तथा प्रार्थी गण
और कृषि ही उनके परिवार के जीवन यापन का एक मात्र सा

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है जिसके पड़त रह जाने से प्रार्थीगण के परिवार को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी एवं पांच लाख रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक हानि होगी इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी मे आने जाने के रास्ते मे की गई बाधा एवं व्यवधान को प्रचलित मुताबिक करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मे से आने जाने के विद्यमान बन्द रास्ते का आवागमन हेतु खुलवाने व विद्यमान संकुचित रास्ते को 15 फुट चौड़ा (विस्तारित) करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 4,5 बावजूद सम्मन के तामील के उप. नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रति वादी क्र. 1 वा 3 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 95, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 41, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 77, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 27 पेश की गयी। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 95, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2069-72 खाता सं. 42, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2069-72 खाता सं. 75, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2069-72 खाता सं. 24, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2069-72 खाता सं. 86, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। साक्ष्य वादी मे PW1 छीतरलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पीपल्दा मे स्थित है, ख. नं. 419 रकबा 2.49 हे. आराजी प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज है व ख. नं. 419 रकबा 1.60 हे. कृषि अप्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थी पक्ष की [illegible] ओर अप्रार्थीगण की आराजी है ख. नं. 403, 404, 405 [illegible] आराजी के दक्षिणी ओर आम रास्ता सड़क [illegible] 405 व 406 के मध्य मेड़ व ख. नं. 404, 403, 410 के मध्य [illegible] के रास्ते से अपनी आराजी ख. नं. 419 पर आने जाने व काश्त हेतु ट्रेक्टर व कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने खेत की जमीन को काश्त

न्यायालय अधिकारी

लगातार - 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आते चले आ रहे है उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी अपने खेत की जमीन पर आ जा सकता है अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने उक्त ख. नम्बरान की जमीन को 10 फुट चौड़ा रास्ते को हांक जोत कर वृक्ष बबूल पेड़ छोड़ कर प्रतिबंधित प्रार्थी को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने के रास्ते की मेड़ पर तारो की बाड़ कर खम्भे खड़े कर दिये जिससे प्रार्थीगण को आने जाने में परेशानी आ रही है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि ख.नं. 405 की भूमि ग्राम पीपल्दा के अप्रार्थी सं. 4 ता 7 ने [illegible] है नरसिंह पुत्र मोतीसिंह को बेच दिया है नरसिंह आदि को पक्षकार नहीं बनाया है। ख.नम्बर 405, 406 के मध्य तथा 404, 403, 410 के मध्य होकर आज तक कोई रास्ता नहीं रहा है रास्ता खुलवाने [illegible] का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है। प्रार्थीगण का खेत ख.नं. 419 पर जाने का रास्ता लालपुरा सीमलिया रोड से ख.नं. 107/706 में स्थित रघुनाथ चतुर्भुज बैरवा के मकान से लालपुरा से पूर्व की ओर प्रार्थी के पुत्र ह्यालीराम के खेत ख.नं. 422 में होकर ख.नं. 418 की ओर में पड़ता है। प्रार्थी अभी भी इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है प्रार्थी नया रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी बाबत ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 42 छीतरलाल पुत्र लाला कौम माली के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68, खाता सं. 95 ख.नं. 406, 410, [illegible] राजेन्द्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता सं. 41 ख.नं. [illegible] 484, 482, 482/548 छीतर पुत्र [illegible] कौम चमार [illegible] जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा सम्वत 2065-68 खाता [illegible] 465, 481 ह्यालीराम, मुकुट की पुत्र [illegible] जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज है ख.नं. 419 रकबा 1.60 हे. गोवर्धन पुत्र लाला जाति माली के खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिसमे से प्रार्थी अपने खेत तक जाने के लिए रास्ता चाहता है इस सम्बन्ध में

लगातार - 5 -

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम पीपल्दा ख.नं. 406, 410 खातेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत सा. देह, ख.नं. 419 रकबा 1.60 हैक्टे. हनुमान पुत्र भैरु जाति माली, ख.नं. 422 रकबा 0.81 हैक्टे. हनुमान पुत्र सीताराम जाति माली सा. देह की दर्ज रिकार्ड है मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख.नं. 419 पर आवागमन का राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी खाते है 419 की उत्तरी ओर स्थित ख.नं. 422 की मेड पर है कृषि उपकरण का आवागमन बताया गया है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को मात्र ख.नं. 422 की मेड से रास्ता लेने में सुविधा रहेगी क्योंकि मात्र एक खातेदार की भूमि में से एक ख.नं. है ही रास्ता के प्रति क्योंकि ख.नं. 403, 404, 405, 406, व 410 कुल 5 ख.नं. सम्मिलित के होकर रास्ता दिया जायेगा जिससे प्रार्थी को पांच खातेदारान को डी.एल.सी. की दो गुणा राशि का भुगतान करना होगा जबकि ख.नं. 422 से होकर रास्ता दिया जाता है तो मात्र एक खातेदार को ही दोगुना राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा चाहे गये ख. नम्बरान से वर्तमान डी.एल.सी. की दर का दो गुणा राशि का खातेदारान को भुगतान करने पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

निर्णायक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खाते की आराजी ख.नं. 419 तक पहुंचने हेतु ~~आराजी~~ ग्राम पीपल्दा के ख.नं. 403, 404, 405, 406, 410 की मेड पर होकर 15 फुट चौड़ा रास्ता देने हेतु प्रार्थी को वर्तमान डी.एल.सी. दर का दो गुणा राशि तहसील कार्यालय में खातेदारान को भुगतान करने हेतु जमा कराने पर तहसीलदार बारां को रास्ता कायम करने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा जमा दुगुना राशि का भुगतान ख.नं. 403, 404, 405, 406, 410 के खातेदारान को किया जावे तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with OKEN Scanner